फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

नानक सिंह बनाम सरकार व पाला सिंह वगै.

अपील इंतकाल प्रकरण सं. 49 /2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
25.08.14	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अपीलांट के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस की तथा निवेदन किया कि जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेंट्स को पाबन्द किया जावे कि अपीलकृत भूमि को अन्य किसी प्रकार से रहन बैय या अन्तरण नहीं करें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंट्स की तलबी के उपरान्त दोनो पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जायेगा। अतः रेस्पोडैंट्स को जरिए सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 08--09--14 को पेश हो। [signature]	N.J. 1763 25.8.14
8.09.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22.09.14 को पेश हो। [signature]	N.J. 1843 15.09.14
22.9.14	अपीलांट के Ad. उप०। अपीलांट की ओर से श्री आनन्द व्यास Ad. ने वकालतनामा पेश किया - शामिल मिसल रहे। रेस्पो० सं० 1 (एक) की ओर से राजकीय अधि० उपस्थित। रेस्पो० सं० 4-5 की ओर से श्री श्योपत राम Ad. ने वकालतनामा पेश किया - शामिल मिसल रहे। अपील की नकल रेस्पो० सं० 4-5 के Ad. को दिखाई गई। अपीलांट के Ad. ने रेस्पो० सं० 2-3 व 6 की तलबी अखबार के माध्यम से कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया - जो अपीलांट के स्वयं के खर्चे पर प्रकाशन कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील अपीलांट रेस्पो० सं० 2-3-6 के सम्मन भरकर पेश करे - जो समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जारी करें। पत्रावली दि० 10-10-14 को पेश हो। [signature]	Received Copy [illegible] [signature]

Scanned with OKEN Scanner

24/2/26

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 29/4/26 को पेश हो।

29/4/2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नही। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वय को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर